राजस्थान सरकार
कार्मिक (क–2/अ.प्र.) विभाग

क्रमांकः– प. 2(5)कार्मिक/क–2/अ.प्र./89 जयपुर, दिनांकः 22.09.2014

परिपत्र

विषयः–तथाकथित स्टापगेप, पातेय वेतन, कार्य व्यवस्था आधार पर नियमित वेतन श्रृंखला में पदोन्नति/ पदस्थापन नहीं किये जाने बाबत।

इस विभाग के समसंख्यक परिपत्र दिनांक 24.10.1989 द्वारा समस्त नियुक्ति अधिकारियों/विभागाध्यक्षों/शासन सचिवों को स्पष्ट किया गया था कि कार्य व्यवस्था आधार (पातेय वेतन) पर उच्च पद पर किसी भी कर्मचारी को पदस्थापित नहीं किया जाए जिसके अन्तर्गत कर्मचारी स्वयं के निचले पद का वेतन प्राप्त करते हुए अन्य उच्च पद के प्रति पदस्थापित किया जाता है।

इस सम्बन्ध में पुनः समसंख्यक परिपत्र दिनांक 27.06.1991, 15.02.2003 एवं 19.04.2008 (जो इस विभाग के इकजाई परिपत्र क्रमांक प. 2(1)कार्मिक/क–2/अ.प्र./91 दिनांक 04.06.2008 के भाग–III के बिन्दु–14 में भी संदर्भित है) द्वारा उक्त निर्देशों की कठोरता से पालना हेतु निवेदन किया गया था परन्तु इसके उपरान्त भी कुछ मामले राज्य सरकार के ध्यान में आये हैं जहां कार्य व्यवस्था के आधार पर पदस्थापन कर दिया गया और समय–समय पर माननीय न्यायालयों द्वारा ऐसी नियुक्तियों पर पुनः अप्रसन्नता व्यक्त की गई है व इसे सार्वजनिक नियोजन हेतु अनुचित माना गया है।

अतः समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव/नियुक्ति प्राधिकारियों/विभागाध्यक्षों को पुनः निर्देशित किया जाता है कि वे किसी भी स्थिति में कार्य व्यवस्था के आधार पर पदस्थापन नियुक्तियां नहीं करे, ताकि अनावश्यक रूप से ऐसे प्रकरणों में मा0 न्यायालयों द्वारा कोई विपरीत टिप्पणी की सम्भावना नहीं रहे और यदि कार्य व्यवस्था की जानी आवश्यक हो, वहां नियमानुसार अतिरिक्त कार्यभार देकर व्यवस्था सुनिश्चित करे। अतः इन निर्देशों की कठोरता से पालना सुनिश्चित की जाए।

22/9/14
(आलोक गुप्ता)
शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. अतिरिक्त मुख्य सचिव, महामहिम राज्यपाल महोदय, राजस्थान, जयपुर।
2. समस्त अति0 मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव, राजस्थान सरकार।
3. सचिव, मा0 मुख्यमंत्री महोदया, राजस्थान, जयपुर।
4. उप सचिव, मुख्य सचिव कार्यालय, राजस्थान, जयपुर।
5. समस्त विभागाध्यक्ष (संभागीय आयुक्त एवं जिला कलक्टर्स सहित)।
6. निदेशक, सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, राजस्थान, जयपुर।
7. समस्त अनुभाग/प्रकोष्ठ, शासन सचिवालय, जयपुर।
8. एसीपी, कम्प्यूटर सैल, कार्मिक विभाग।

22/9/14
संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को भी प्रेषित है :–

1. पंजीयक, राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर/जोधपुर।
2. पंजीयक, राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर।
3. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
5. रक्षित पत्रावली।

22/9/14
संयुक्त शासन सचिव

Modi ji/2014/Notification/Circular/2 21/2014